is admissible for timely repayment of principal and interest.

(c) No. Sir, this may not be feasible taking into consideration the existing rates of interest charged by different credit disbursing agencies. However the Government of India are taking steps to ensure that the credit needs of the small but potentially viable farmers are met substantially and are considering a scheme for setting up of small Farmers' Development Agencies in selected districts. These will ensure loans to farmers for productive purposes at the existing interest rates of the cooperative institutions.

छोटी सिचाई योजनाएं

3549. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री राम चरण :

क्या खाद्य कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी सिचाई योजनाओं के विस्तार के लिये अब तक कोई निर्णय नहीं किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या मुख्य कठिनाइयां अनुभव की जा रही है ; और

(ग) क्या किसानों को छोटी सिचाई योजनाओं की सुविधाएं देने के लिये कोई नये निर्णय करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे): (क) जी नहीं । लघु सिंचाई को विभिन्न किस्म की योजनाओं के लिए प्रादेशिक तकनीकी आर्थिक सम्भाव्यताओं और उपलब्ध संस्थानात्मक तथा वित्तीय संसाधनों के अनुसार एक योजना से दूसरी योजना में और वर्ष प्रतिवर्ष विस्तृत किया जा रहा है । तीसरी योजना के दौरान लगभग 439.11 करोड़ रु० के कुल अनुमानित परिव्यय के मुकाबले. 1966 – 69 के दौरान की तीन वर्ष की अवधि में 530.39 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमान है । 1969-70 में, लघु सिंचाई पर इस परिव्यय को गत वर्ष के 196.0 करोड़ रु० के स्तर की तुलना में 220.0 करोड़ रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है । तीसरी योजना और 1966-69 के वर्षों के दौरान लाभान्वित होने वाले क्रमश: 128 लाख एकड़ भूमि और 104 लाख एकड़ भूमि के मुकाबले यह अनुमान लगाया जाता है कि चौथी योजना में लघु सिचाई योजनाओं की क्रियान्विति से कुल 180 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुंचेगा ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

(ग) किसानों को लघु सिचाई सुविधाओं की व्यवस्था को तीव्र करने के हेतु राज्यों द्वारा हाल ही में उठाये गये या उठाये जाने वाले नये उपायों में संस्थानात्मक तथा लोक अभिकरणों के द्वारा धन की व्यवस्था को बढ़ाना, भूगत जल अन्वेषणों को तीव्र करना, देशीय उत्पादन तथा आवश्यकता पड़ने पर आयोता द्वारा ड्रिलिंग उपकरणों की उपलब्धि को बढ़ाना, ग्रामीण विद्युतिकरण कार्यक्रमों को तीव्र करना, सिंचाई कार्यों के लिये किसानों को ऋण की पात्रता निश्चित करने के लिए भूमि की सीमा को उदार करना और असफल खोदे गए कूओं पर राज सहायता को बढ़ाना सम्मिलित है।

युवकों के लिये आकाशवाणी का कार्यक्रम

3550. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या सूचना तथा प्रसारण और संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से युवकों के लिये कार्यक्रम के प्रसारण की योजना किस तारीख तक क्रियान्वित होगी ;

(ख) क्या इसके लिये एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में अन्य देशों के अनुभवों का भी लाभ उठाया जा रहा है ?

सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय और संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) दिल्ली से युवक के लिये कार्यक्रम